CNRNO-UPDE010025742025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, देवरिया।

पीठासीन अधिकारी–काशी नाथ, (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP06231

<u>दाण्डिक निगरानी संख्या–104/2025</u>

गीता देवी उम्र 55 वर्ष पत्नी स्व0 मोहनलाल यादव

ग्राम–बेलवां बाजार, थाना महुआडीह, जिला देवरिया————————————निगरानीकर्ता

<u>बनाम</u>

1–राकेश वर्मा उम्र 45 वर्ष पुत्र श्रीकिशुन वर्मा

साकिन–बेलवां बाजार, थाना महुआडीह, जिला देवरिया स्थायी पता–रामगुलाम टोला, थाना कोतवाली, जिला देवरिया

2–उ0प्र0 राज्य ————————————————विपक्षीगण

–:निर्णयः–

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से फौजदारी प्रकीर्ण संख्या–2448 सन् 2024, गीता देवी बनाम राकेश वर्मा व अन्य, थाना महुआडीह, जिला देवरिया में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–17, देवरिया द्वारा पारित आदेश दिनांकित–27–03–2025 के विरूद्ध संस्थित की गयी है। उक्त आलोच्य आदेश के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 निरस्त किया गया है।

2. प्रस्तुत प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि विगत कई तिथियों से निगरानीकर्ता एवं विपक्षी संख्या–1 उपस्थित नहीं आ रहे हैं। निगरानीकर्ता को न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। निर्णय विधि ***Santosh Vs. State of U.P. (2010) 3, SCC (Cri) 307*** के आलोक में फौजदारी निगरानी अनुपस्थिति में बिना गुणदोष पर खारिज नहीं की जा सकती है। अतः विपक्षी संख्या–2 की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

3. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी को उत्पन्न करने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी अनपढ़ व बेहद गरीब महिला

है। प्रार्थिनी के पति मोहनलाल यादव, राकेश वर्मा पुत्रगण श्रीकिशुन वर्मा के सोने चांदी के दुकान जो बेलवा बाजार में है, उसी दुकान पर सात वर्ष से रहते थे तथा झाड़ू, पानी पिलाना आदि सभी कार्य करते हैं। दिनांक–06–11–2021 को प्रार्थिनी के पति दुकान से लगभग 6 बजे तक घर आ गये, खाना पूछने पर कहे कि दुकान मालिक ने खाना मंगाया था दुकान पर ही खाना खाकर आये हैं। उसके आधे घण्टे बाद उनकी तबियत खराब हुई और वे घर पर ही मर गये। परिवार के लोग स्वभाविक मौत समझकर सुबह दाह संस्कार कर दिये। उसके पति ने कुछ दिन पहले बताया था कि दुकान मालिक उसे हमेशा गाली देते व कभी कभार मार पीट देते हैं तथा समय से महीने का सैलरी नहीं देते हैं। हर माह सात हजार रूपया तथा नाश्ता भोजन दवा पर दुकान पर रहने का तय हुआ था, जिसमें करीब 2 साल का सैलरी करीब एक लाख 90 हजार रूपये बकाया था। प्रार्थिनी अपने पति की मृत्यु के बाद दाह संस्कार के बाद पति द्वारा एल0आई0सी0 में कराये गये जीवन बीमा की रकम हेतु जब आवेदन किया तो प्रार्थिनी को एल0आई0सी0 के तरफ एक रजिस्ट्री दिनांक–22–12–2023 प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि आपका बीमा दावा निरस्त कर दिया गया है। पूछने पर राकेश वर्मा के दुकान द्वारा यह स्पष्ट बयान दिया गया कि स्व0 मोहनलाला यादव उसकी दुकान से 6 बजे के बाद अपने घर गये और 7 बजे जहर खाकर मर गये। प्रार्थिनी को स्पष्ट हो गया कि उसके पति की मौत स्वभाविक नहीं थी बल्कि दुकान मालिक राकेश वर्मा व कुछ अन्य लोगों ने उसके पति को जहर दिया, जबकि उसके पति रोज 8 बजे दुकान बंद हेने के बाद साग सब्जी लेकर लगभग 9 बजे ही घर आते थे। उसके पति की हत्या में दुकान मालिक राकेश वर्मा ही शामिल हैं। घटना की सूचना उसने थाने पर दिया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः थानाध्यक्ष महुआडीह को प्रार्थिनी की रपट दर्ज कर विवेचना करने हेतु आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है।

4. निगरानीकर्ता ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपने कथनों के समर्थन में एस0पी0 देवरिया को दिये गये प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, रजिस्टरी रशीद दाखिल की गयी है।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत कर पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त यह आदेश पारित किया गया कि ''उक्त घटना वर्ष 2021 में होना बताया गया है, जबकि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र वर्ष 2024 में तब दाखिल किया गया, जबकि एल0आई0सी0 उसके पति से सम्बन्धित पालिसी निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा फर्जी तरीके से कथनों को कहते हुए उक्त प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा कोई भी संज्ञेय अपराध कारित

नहीं किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थिनी गीता देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 निरस्त किया गया है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर ही निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी योजित की गयी है।

6. निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के आधारस्वरूप कथन किया गया है कि अवर न्यायालय का आदेश दिनांक–23–03–2025 तथ्य एवं विधि विरूद्ध है। एल0आई0सी0 के द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर उन लोगों को जानकारी हुआ कि उसके पति की मृत्यु उनके दुकान पर ही खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाने से हुआ था। जहर खाने की बात स्पष्ट होने के बाद प्रार्थिनी स्थानीय थाना गयी एवं पति की मौत की जांच कराने हेतु प्रार्थनापत्र दिया। एल0आई0सी0 की रकम का आवेदन करने के बाद दिनांक–22–12–2023 को एल0आई0सी0 द्वारा पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि आपका दावा निरस्त कर दिया गया है। दावा किस आधार पर निरस्त किया गया है इसकी सूचना मांगने पर मण्डल कार्यालय द्वारा दिनांक–13–05–2024 को एक रजिस्ट्री प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि दुकान मालिक राकेश वर्मा ने जांच में लिखित बयान दिया है कि मोहनलाल यादव उसकी दुकान से 6 बजे शाम घर गए और 7 बजे जहर खाकर मर गए। विद्वान विचारण न्यायालय का यह कहना की मामला पुराना है तथा फर्जी कथनों के आधार पर है जबकि दुकान मालिक द्वारा एल0आई0सी0 के जांच के दौरान स्पष्ट रूप से कहा गया कि मोहन यादव उसके दुकान से 6 बजे शाम को गये और जहर खाकर मर गए। इस बात का ध्यान विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। मनमाने तौर पर प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया जो नियम के खिलाफ है। अतः निगरानीकर्ती की निगरानी स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक–27–03–2025 को निरस्त कर विद्वान विचारण न्यायालय को आदेशित किया जावे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है।

7. निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी के समर्थन में शपथपत्र, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–17, देवरिया द्वारा फौजदारी प्रकीर्ण संख्या–2448/2024, गीता देवी बनाम राकेश वर्मा व अन्य, अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0, थाना महुआडीह, जिला देवरिया में पारित आदेश दिनांकित–27–03–2025 की सत्यप्रतिलिपि, प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 की सत्यप्रतिलिपि, रजिस्ट्री रशीद की सत्यप्रतिलिपि, आर0टी0आई0 आदेश की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

8. न्यायालय द्वारा विपक्षी संख्या–2 राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. विपक्षी संख्या–2 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश,

विधिक रूप से पारित किया गया है, उसमें कोई अशुद्धता, अनियमितता या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं है।

निष्कर्ष

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अमित कपूर बनाम रमेशचन्द्र व अन्य (2012) एसी0सी0 460** में यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए जहां परः–

i- जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी गयी है, वह बिल्कुल गलत है,

ii- विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्राविधानों का पालन नहीं किया गया है, और,

iii- बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिये गये हैं,

iv- तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा

v- न्यायिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या तर्कों के विरूद्ध किया गया।

11. उपरोक्त विधि व्यवस्था से स्पष्ट है कि पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियां बहुत सीमित हैं। पुनरीक्षण न्यायालय को यह देखना है कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता, अनियमितता तो नहीं है और क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि तो नहीं की गयी है।

12. The Hon'ble High Court of Allahabad in **Shavitri Devi Vs. U.P. State & Ors. 2014 (84) ACC 81** has held that "in constricted revisional jurisdiction, the finding of the Ld. Lower Court cannot be analysed theradware. Besides they are not liable to be set aside unless they are perverse, based on misreading of evidence, or suffer from any other legal inhibitions."

13. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित–27–03–2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसमें प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 निरस्त किया गया है।

14. धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 यह प्रावधान करती है किः–**"धारा–190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश कर सकता है।"**

15. धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट या सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष तीन विकल्प होते हैं। प्रथम विकल्प के रूप में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट या सम्बन्धित न्यायालय प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर सम्बन्धित थाने को

प्रकरण के सम्बन्ध में उचित धाराओं में वाद दर्ज कर विवेचना करने हेतु आदेशित कर सकता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **साकेरी वासु बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य (2008) 2 एस0सी0सी0 409** में अवधारित किया गया है कि, ''यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 योजित किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट सम्बन्धित थाने को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कर उचित विवेचना किये जाने का आदेश पारित कर सकता है।'' दूसरे विकल्प के रूप में मजिस्ट्रेट उक्त प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर मामले का प्रसंज्ञान ले सकता है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य 2007 (59) ए0सी0सी0 739** में निर्धारित किया गया है कि, ''प्रत्येक मामले में यह आवश्यक नहीं होता कि मजिस्ट्रेट धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित करे, अपितु मजिस्ट्रेट को यह विकल्प प्राप्त है कि वह उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है।'' तीसरे विकल्प के रूप में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट या सम्बन्धित न्यायालय धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत योजित प्रार्थनापत्र को निरस्त कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **नीलम देवी बनाम उ0प्र0 राज्य, केस अन्तर्गत धारा–482 नं0–4994/2017, निर्णय दिनांकित–03–08–2017** में यह निर्धारित किया गया है कि, ''धारा–156(3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए और इस बिन्दु पर विचार करना चाहिए कि क्या उक्त प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में एफ0आई0आर0 दर्ज कराया जाना ही आवश्यक है। यदि मजिस्ट्रेट यह पाता है कि उक्त प्रार्थनापत्र में रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु आवश्यक तत्व मौजूद नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उक्त प्रार्थनापत्र को निरस्त कर सकता है, भले ही उक्त प्रार्थनापत्र में संज्ञेय अपराध कारित किये जाने का आरोप लगाया गया हो।'' इस प्रकार सम्बन्धित न्यायायल या सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त तीनों विकल्प मौजूद रहते हैं और प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 प्राप्त होने पर तीसरे विकल्प का उपयोग किया गया है और तद्नुसार प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया है।

16. उपरोक्त तीनों विकल्पों का उपयोग मजिस्ट्रेट को न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए किया जाना चाहिए। न्यायिक विवेक का उपयोग सोच समझकर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

17. पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत

धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 संक्षेप में मुख्यतः यह कथन किये गये हैं कि "प्रार्थिनी अनपढ़ व बेहद गरीब महिला है। प्रार्थिनी के पति मोहनलाल यादव, राकेश वर्मा पुत्रगण श्रीकिशुन वर्मा के सोने चांदी के दुकान जो बेलवा बाजार में है, उसी दुकान पर सात वर्ष से रहते थे तथा झाडू, पानी पिलाना आदि सभी कार्य करते हैं। दिनांक–06–11–2021 को प्रार्थिनी के पति दुकान से लगभग 6 बजे तक घर आ गये, खाना पूछने पर कहे कि दुकान मालिक ने खाना मंगाया था दुकान पर ही खाना खाकर आये हैं। उसके आधे घण्टे बाद उनकी तबियत खराब हुई और वे घर पर ही मर गये। प्रार्थिनी अपने पति की मृत्यु के बाद दाह संस्कार के बाद पति द्वारा एल0आई0सी0 में कराये गये जीवन बीमा की रकम हेतु जब आवेदन किया तो प्रार्थिनी को एल0आई0सी0 के तरफ एक रजिस्ट्री दिनांक–22–12–2023 प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि आपका बीमा दावा निरस्त कर दिया गया है। पूछने पर राकेश वर्मा के दुकान द्वारा यह स्पष्ट बयान दिया गया कि स्व0 मोहनलाला यादव उसकी दुकान से 6 बजे के बाद अपने घर गये और 7 बजे जहर खाकर मर गये। उसके पति की हत्या में दुकान मालिक राकेश वर्मा ही शामिल हैं।" अर्थात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा थाने से आख्या आहूत कर पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त यह आदेश पारित किया गया कि "उक्त घटना वर्ष 2021 में होना बताया गया है, जबकि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र वर्ष 2024 में तब दाखिल किया गया, जबकि एल0आई0सी0 उसके पति से सम्बन्धित पालिसी निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा फर्जी तरीके से कथनों को कहते हुए उक्त प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा कोई भी संज्ञेय अपराध कारित नहीं किया गया है, के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/प्रार्थी का प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 निरस्त किया गया है।

18. अतः उपरोक्त समग्र विवेचन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्य के आधार पर प्रकरण में प्रश्नगत आदेश दिनांकित–27–03–2025 पारित किया गया है, जिसमें कोई अविधिकता, अनियमितता व अनौचित्यता या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, जो स्थिर रहने योग्य है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक औचित्य नहीं है। अतएव उक्त आधारों पर इस न्यायालय के मत में प्रश्नगत दाण्डिक निगरानी संख्या–104/2025 स्वीकार किये जाने का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं है। प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी खारिज किये जाने योग्य है तथा उक्त आलोक में प्रश्नगत आदेश दिनांकित–27–03–2025 पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–104/2025 खारिज की जाती है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–17, देवरिया द्वारा फौजदारी प्रकीर्ण संख्या–2448/2024, गीता देवी बनाम राकेश वर्मा व अन्य, अन्तर्गत धारा–धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0, थाना महुआडीह, जिला देवरिया पर पारित आलोच्य आदेश दिनांकित–27–03–2025 पुष्ट किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जावे।

(काशी नाथ)
दिनांक–10–07–2026 अपर स़त्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1,
देवरिया।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(काशी नाथ)
दिनांक–10–07–2026 अपर स़त्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1,
देवरिया।